न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बेरमो (तेनुघाट)
छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(क)/(ख) के अंतर्गत
परमिशन वाद संख्या 36 वर्ष 2023

आवेदक–जीतन मॉझी
ग्राम – हडमीता टोला पदनाटॉड
थाना – पेटरवार जिला–बोकारो

क्रेता– श्याम कुमार मुर्मू
ग्राम –चलकरी टोला कानीडीह
थाना –पेटरवार जिला– बोकारो

आदेश की क्र0 एवं तारीख 01	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ। 03
04/07/23	(see below)	C.C issued 22/08/23

आदेश

यह वाद आवेदक जीतन मॉझी पिता छुटू मॉझी निवासी ग्राम हडमीता थाना पेटरवार जिला–बोकारो द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(क))/(ख) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरण निम्नवतः–

मौजा	थाना न0	खाता न0	प्लॉट न0	कुल रकबा	बिक्री रकबा	भूमि दर्जा
हडमीता	43	12	191	1.75 डी0	40 डी0	कृषि योग्य
		11	170	2.60 ए0	30 डी0	

को वे अपने निजी एवं बीमारी ईलाज हेतु मो0 5,44,810/– (पॉच लाख चौवालीस हजार आठ सौ दस) रूपये में क्रेता– श्याम कुमार मुर्मू पिता जगदीश मॉझी निवासी ग्राम चलकरी टोला कानीडीह थाना पेटरवार जिला– बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(ख) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यालय के पत्रांक 625/रा0 दिनांक 26.06.2023 के माध्यम से अंचल अधिकारी, पेटरवार से जॉच प्रतिवेदन की मॉग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरूद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री की अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी, पेटरवार के पत्रांक 592 दिनांक 26.06.2023 से वांछित जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि:–

01. बिक्रेता एवं क्रेता संथाल जाति के सदस्य हैं जो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेता एवं केता ग्राम हडमीता दोनो थाना–पेटरवार जिला–बोकारो का निवासी है।
02. बिक्री की जाने वाली भूमि सर्वे खतियान में शिकारी मॉझी वगैरह के नाम से दर्ज है तथा जमाबन्दी सुरजन मॉझी, छोटू मॉझी के नाम से पंजी–II के पृष्ठ सं0 14/1 में दर्ज है एवं लगान रसीद वर्ष 2022–2023 तक निर्गत है। बिकेता को यह भूमि खतियान द्वारा हासिल है।
03. जमाबंदीधारी रैयत से बिकेता का संबंध परदादा–पोता का है। बिकी वाली भूमि बिकेता के हक व हिस्से के अन्तर्गत आता है जिसपर बिकेता का दखल कब्जा है।
04. प्रस्तावित भूमि भू हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि, सी0सी0एल0 अधिग्रहित क्षेत्र, से बाहर है।

उनके द्वारा बिक्रेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया है।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेता द्वारा अपने ब्यान में बतलाया गया है कि आवेदनांकित जमीन उनके पूर्वज के नाम से खतियानी जमीन है तथा जमाबन्दी

उनके पिता सुरजन मॉझी वगैरह के नाम से चल रही है। बिक्री वाली जमीन अपने हिस्से की है जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

क्रेता का कहना है कि उन्होंने प्रस्तावित जमीन को देखी है। उक्त जमीन में कोई विवाद नहीं है, तथा वर्तमान में आवेदक के शान्ति पूर्ण दखल कब्जे में है।

उभय पक्ष अपने पक्ष में निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं:–

01. विक्रेता– शिकारी मॉझी वगैरह के नाम सर्वेखतियान की छायाप्रति, सुरजन मॉझी वगैरह के नाम लगान रसीद की छायाप्रति, आवासीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति, जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।

02. क्रेता– जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति, आवासीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

दोनों पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी पेटरवार से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिक्रेता एवं केता संथाल जाति के सदस्य हैं जो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं तथा बिकेता एवं केता ग्राम दोनों एक ही ग्राम, थाना एवं जिलान्तर्गत निवासी हैं। आवेदित भूमि बिक्रेता के खतियानी जमीन है, जिसे वे आवश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

अतः जीतन मॉझी पिता छुटू मॉझी निवासी ग्राम हडमीता थाना पेटरवार जिला–बोकारो को निम्नांकित भूमि :–

मौजा	खाता न0	प्लॉट न 0	कुल रकबा	बिकी रकबा	उत्तर सीमा	दक्षिण सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
हडमीता	12	191	1.75 ए0	40 डी0	नीज प्लॉट सं0 191	नीज प्लॉट सं0 191	गैरमजरूआ खास एवं नदी नाला	नीज प्लॉट सं0 191
		170	2.60 ए0	30 डी0	नीज गैरमजरूआ भूमि	सडक	नीज प्लॉट सं0 170	श्याम कु0 मुर्मू
कुल 70 डी0 (सतर डिसमिल जमीन मात्र।)								

मो0 5,44,810/– (पॉच लाख चौवालीस हजार आठ सौ दस रूपये) या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनतम भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से क्रेता –श्याम कुमार मुर्मू पिता जगदीश मॉझी निवासी ग्राम चलकरी टोला कानीडीह थाना पेटरवार जिला–बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
बेरमो (तेनुघाट)।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
बेरमो (तेनुघाट)।

Digitally signed by SADANAND MAHTO
Date: 2024.09.24 14:16:52 +05:30
Location: 192.168.126.43